

प्रेषक

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल काम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NIPI/39/2017-18/4663-75 दिनांक 11/08/2017

विषय-नेशनल आयरन प्लस इनीशिएटिव (NIPI) कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों को आयरन सीरप के जनपद स्तर पर क्रय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NIPI/39/2016-17/6914-75, दिनांक 04.11.2016 का (छायाप्रति संलग्न) संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से नेशनल आयरन प्लस इनीशिएटिव (NIPI) कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों को आयरन सीरप दिये जाने हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० द्वारा (IFA syrup 50ml, Bottal (With Auto Dispenser) रू० 7.99 प्रति बोतल की दर से दर अनुबन्ध किया गया है। जो कि वेबसाइट पर <http://dghealth.up.nic.in> पर उपलब्ध है।

1-वित्त पोषण-

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 की आर०ओ०पी० में स्वीकृत नेशनल आयरन प्लस इनीशिएटिव (NIPI) कार्यक्रम के अन्तर्गत हेतु 6 माह के लिये IFA syrup जनपद स्तर पर क्रय करने हेतु FMR Code-B.16.2.6.1 a पर नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है। जनपद स्तर पर IFA syrup का नियमानुसार दर अनुबन्ध के आधार पर क्रय कर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- नेशनल आयरन प्लस इनीशिएटिव (NIPI) कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि व्यय पूर्व में जारी इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NIPI/39/2016-17/6914-75, दिनांक 04.11.2016 के माध्यम से किया जायेगा।
- आपको निर्देशित किया जाता है कि दिशा निर्देशों में आपके जनपद के सम्मुख अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा तक IFA syrup क्रय करने हेतु सम्बन्धित फर्म को क्रय आदेश तत्काल निर्गत करें। तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा IFA syrup की आपूर्ति प्राप्त होते ही भुगतान करना सुनिश्चित करें।

नेशनल आयरन प्लस इनीशिएटिव (NIPI) कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु 6 माह के लिये IFA syrup के जनपद स्तर पर क्रय करने हेतु जनपदवार नीचे दी गयी तालिकानुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

District wise budget allocation for IFA syrup under NIPI programme 2017-18				
Sl. No.	District	Total children 6 months-5 yrs	Total Fund requirement for procurement of IFA syrup@ Rs.7.99 /50ml bottle	Total Fund Released to DHS (Amount in Rs.)
FMR Code-B.16.2.6.1 a				
1	Agra	543300	4340968	4340968 ✓
2	Aligarh	455626	3640450	3640450 ✓
3	Allahabad	739126	5905617	5905617 ✓
4	Ambedkar Nagar	297485	2376902	2376902 ✓
5	Amethi	301923	2412365	2412365 ✓
6	Amroha (JP Nagar)	228042	1822054	1822054 ✓
7	Auraiya	170189	1359812	1359812 ✓
8	Azamgarh	572533	4574540	4574540 ✓
9	Baghpat	161492	1290318	1290318 ✓
10	Bahraich	431369	3446637	3446637 ✓

District wise budget allocation for IFA syrup under NIPI programme 2017-18				
Sl. No.	District	Total children 6 months-5 yrs	Total Fund requirement for procurement of IFA syrup@ Rs.7.99 /50ml bottle	Total Fund Released to DHS (Amount in Rs.)
FMR Code-B.16.2.6.1 a				
11	Ballia	399792	3194336	3194336 ✓
12	Balrampur	266524	2129529	2129529 ✓
13	Banda	223177	1783182	1783182 ✓
14	Barabanki	404051	3228365	3228365 ✓
15	Bareilly	553786	4424750	4424750 ✓
16	Basti	305217	2438683	2438683 ✓
17	Bijnor	456872	3650406	3650406 ✓
18	Budaun	395917	3163376	3163376 ✓
19	Bulandshahar	433880	3466702	3466702 ✓
20	Chandauli	242173	1934961	1934961 ✓
21	Chitrakoot	122856	981621	981621 ✓
22	Deoria	384289	3070467	3070467 ✓
23	Etah	218416	1745141	1745141 ✓
24	Etawah	195845	1564803	1564803 ✓
25	Faizabad	306124	2445931	2445931 ✓
26	Farukkhahad	234095	1870417	1870417 ✓
27	Fatehpur	326502	2608751	2608751 ✓
28	Firozabad	309645	2474064	2474064 ✓
29	Gautam Buddha Nagar	207696	1659489	1659489 ✓
30	Ghaziabad	418986	3347697	3347697 ✓
31	Ghazipur	449286	3589793	3589793 ✓
32	Gonda	425556	3400192	3400192 ✓
33	Gorakhpur	550181	4395945	4395945 ✓
34	Hamirpur	136919	1093984	1093984 ✓
35	Hapur	159121	1271378	1271378 ✓
36	Hardoi	507407	4054186	4054186 ✓
37	Hathras	194173	1551445	1551445 ✓
38	Jalaun	207200	1655529	1655529 ✓
39	Jaunpur	555116	4435380	4435380 ✓
40	Jhansi	248131	1982566	1982566 ✓
41	Kannauj	205624	1642932	1642932 ✓
42	Kanpur Dehat	222625	1778772	1778772 ✓
43	Kanpur Nagar	567131	4531379	4531379 ✓
44	Kasganj	178358	1425082	1425082 ✓
45	Kaushambi	198047	1582392	1582392 ✓
46	Kushi Nagar (Padrauna)	441609	3528458	3528458 ✓
47	Lakhimpur Kheri	497765	3977146	3977146 ✓
48	Lalitpur	151055	1206929	1206929 ✓
49	Lucknow	569054	4546741	4546741 ✓
50	Maharajganj	330546	2641062	2641062 ✓
51	Mahoba	108647	868091	868091 ✓
52	Mainpuri	229086	1830401	1830401 ✓
53	Mathura	315242	2518786	2518786 ✓
54	Mau	273482	2185123	2185123 ✓
55	Meerut	427543	3416065	3416065 ✓
56	MIRZAPUR	309369	2471855	2471855 ✓
57	Moradabad	389127	3109125	3109125 ✓
58	Muzaffar Nagar	332444	2656232	2656232 ✓
59	Pilibhit	252654	2018705	2018705 ✓
60	Pratapgarh	393604	3144899	3144899 ✓
61	Raebareli	318863	2547715	2547715 ✓
62	Rampur	289633	2314167	2314167 ✓
63	Saharanpur	429629	3432735	3432735 ✓
64	Sambhal	267363	2136229	2136229 ✓
65	Sant Kabir Nagar	212605	1698716	1698716 ✓
66	Santravidas Nagar (Bhadohi)	192750	1540074	1540074 ✓
67	Shahjahanpur	372351	2975082	2975082 ✓

District wise budget allocation for IFA syrup under NIPI programme 2017-18				
Sl. No.	District	Total children 6 months-5 yrs	Total Fund requirement for procurement of IFA syrup@ Rs.7.99 /50ml bottle	Total Fund Released to DHS (Amount in Rs.)
FMR Code-B.16.2.6.1 a				
68	Shamali	180820	1444749	1444749 ✓
69	Shravasti	138233	1104481	1104481 ✓
70	Siddharth Nagar	316685	2530312	2530312 ✓
71	Sitapur	554915	4433769	4433769 ✓
72	Sonbhadra	230999	1845679	1845679 ✓
73	Sultanpur	271519	2169437	2169437 ✓
74	Unnao	385772	3082317	3082317 ✓
75	Varanasi	456661	3648720	3648720 ✓

नोट:-

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण एफ0एम0आर0 के अनुसार लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कराये।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

02- रिपोर्ट का प्रेषण-

- ए0एन0एम0 आयरन तथा फॉलिक एसिड वितरण/उपभोग की प्रगति आख्या, प्रत्येक माह ब्लॉक चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायें।
- ब्लॉक चिकित्साधिकारी अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की रिपोर्ट जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायें।
- जनपद स्तर पर सभी पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 की रिपोर्टों को संकलित कर रिपोर्ट राज्य स्तर पर महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई-मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई-मेल gmchildhealthnrhm@gmail.com पर संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

03- कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अपर निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने का कष्ट करें। परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा समय समय पर कार्यक्रम की समीक्षा की जायेगी।

अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई-मेल jdrchup@gmail.com एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के ई-मेल gmchildhealthnrhm@gmail.com मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/NIPI/39/2017-18/

दिनांक /08/2017

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. महाप्रबन्धक, प्रोक्योरमेण्ट, नियमित टीकाकरण, कम्युनिटी प्रोसेस, एस0पी0एम0यू0 लखनऊ उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ, बी-3/258, विशालखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
9. टीम लीडर, उ0प्र0 टैक्नीकल सपोर्ट यूनिट (UP-TSU) रतन स्क्वायर टावर, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
10. राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, माइक्रोन्यूट्रीएन्ट इनीशिएटिव (NI), गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल काम्प्लैक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NIPI/39/2017-18/

दिनांक 07/07/2017

विषय-नेशनल आयरन प्लस इनीशिएटिव (NIPI) कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों को आयरन सीरप के जनपद स्तर पर क्रय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NIPI/39/2016-17/6914-75, दिनांक 04.11.2016 का (छायाप्रति संलग्न) संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से नेशनल आयरन प्लस इनीशिएटिव (NIPI) कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों को आयरन सीरप दिये जाने हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० द्वारा (IFA syrup 50ml, Bottal (With Auto Dispenser) रु० 7.99 प्रति बोतल की दर से दर अनुबन्ध किया गया है। जो कि वेबसाईट पर <http://dghealth.up.nic.in> पर उपलब्ध है।

1-वित्त पोषण-

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 की आर०ओ०पी० में स्वीकृत नेशनल आयरन प्लस इनीशिएटिव (NIPI) कार्यक्रम के अन्तर्गत हेतु 6 माह के लिये IFA syrup जनपद स्तर पर क्रय करने हेतु **FMR Code-B.16.2.6.1 a** पर नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है। जनपद स्तर पर IFA syrup का नियमानुसार दर अनुबन्ध के आधार पर क्रय कर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- नेशनल आयरन प्लस इनीशिएटिव (NIPI) कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि व्यय पूर्व में जारी इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NIPI/39/2016-17/6914-75, दिनांक 04.11.2016 के माध्यम से किया जायेगा।
- आपको निर्देशित किया जाता है कि दिशा निर्देशों में आपके जनपद के सम्मुख अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा तक IFA syrup क्रय करने हेतु सम्बन्धित फर्म को क्रय आदेश तत्काल निर्गत करें। तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा IFA syrup की आपूर्ति प्राप्त होते ही भुगतान करना सुनिश्चित करें।

नेशनल आयरन प्लस इनीशिएटिव (NIPI) कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु 6 माह के लिये IFA syrup के जनपद स्तर पर क्रय करने हेतु जनपदवार नीचे दी गयी तालिकानुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

District wise budget allocation for IFA syrup under NIPI programme 2017-18				
Sl. No.	District	Total children 6 months-5 yrs	Total Fund requirement for procurement of IFA syrup@ Rs.7.99 /50ml bottle	Total Fund Released to DHS (Amount in Rs.)
FMR Code-B.16.2.6.1 a				
1	Agra	543300	4340968	4340968
2	Aligarh	455626	3640450	3640450
3	Allahabad	739126	5905617	5905617
4	Ambedkar Nagar	297485	2376902	2376902
5	Amethi	301923	2412365	2412365
6	Amroha (JP Nagar)	228042	1822054	1822054
7	Auraiya	170189	1359812	1359812
8	Azamgarh	572533	4574540	4574540
9	Baghpat	161492	1290318	1290318
10	Bahraich	431369	3446637	3446637

District wise budget allocation for IFA syrup under NIPI programme 2017-18				
Sl. No.	District	Total children 6 months-5 yrs	Total Fund requirement for procurement of IFA syrup@ Rs.7.99 /50ml bottle	Total Fund Released to DHS (Amount in Rs.)
FMR Code-B.16.2.6.1 a				
11	Ballia	399792	3194336	3194336
12	Balrampur	266524	2129529	2129529
13	Banda	223177	1783182	1783182
14	Barabanki	404051	3228365	3228365
15	Bareilly	553786	4424750	4424750
16	Basti	305217	2438683	2438683
17	Bijnor	456872	3650406	3650406
18	Budaun	395917	3163376	3163376
19	Bulandshahar	433880	3466702	3466702
20	Chandauli	242173	1934961	1934961
21	Chitrakoot	122856	981621	981621
22	Deoria	384289	3070467	3070467
23	Etah	218416	1745141	1745141
24	Etawah	195845	1564803	1564803
25	Faizabad	306124	2445931	2445931
26	Farukhabad	234095	1870417	1870417
27	Fatehpur	326502	2608751	2608751
28	Firozabad	309645	2474064	2474064
29	Gautam Buddha Nagar	207696	1659489	1659489
30	Ghaziabad	418986	3347697	3347697
31	Ghazipur	449286	3589793	3589793
32	Gonda	425556	3400192	3400192
33	Gorakhpur	550181	4395945	4395945
34	Hamirpur	136919	1093984	1093984
35	Hapur	159121	1271378	1271378
36	Hardoi	507407	4054186	4054186
37	Hathras	194173	1551445	1551445
38	Jalaun	207200	1655529	1655529
39	Jaunpur	555116	4435380	4435380
40	Jhansi	248131	1982566	1982566
41	Kannauj	205624	1642932	1642932
42	Kanpur Dehat	222625	1778772	1778772
43	Kanpur Nagar	567131	4531379	4531379
44	Kasganj	178358	1425082	1425082
45	Kaushambi	198047	1582392	1582392
46	Kushi Nagar (Padrauna)	441609	3528458	3528458
47	Lakhimpur Kheri	497765	3977146	3977146
48	Lalitpur	151055	1206929	1206929
49	Lucknow	569054	4546741	4546741
50	Maharajganj	330546	2641062	2641062
51	Mahoba	108647	868091	868091
52	Mainpuri	229086	1830401	1830401
53	Mathura	315242	2518786	2518786
54	Mau	273482	2185123	2185123
55	Meerut	427543	3416065	3416065
56	MIRZAPUR	309369	2471855	2471855
57	Moradabad	389127	3109125	3109125
58	Muzaffar Nagar	332444	2656232	2656232
59	Pilibhit	252654	2018705	2018705
60	Pratapgarh	393604	3144899	3144899
61	Raebareli	318863	2547715	2547715
62	Rampur	289633	2314167	2314167
63	Saharanpur	429629	3432735	3432735
64	Sambhal	267363	2136229	2136229
65	Sant Kabir Nagar	212605	1698716	1698716
66	Santravidas Nagar (Bhadohi)	192750	1540074	1540074
67	Shahjahanpur	372351	2975082	2975082

District wise budget allocation for IFA syrup under NIPI programme 2017-18				
Sl. No.	District	Total children 6 months-5 yrs	Total Fund requirement for procurement of IFA syrup@ Rs.7.99 /50ml bottle	Total Fund Released to DHS (Amount in Rs.)
FMR Code-B.16.2.6.1 a				
68	Shamali	180820	1444749	1444749
69	Shravasti	138233	1104481	1104481
70	Siddharth Nagar	316685	2530312	2530312
71	Sitapur	554915	4433769	4433769
72	Sonbhadra	230999	1845679	1845679
73	Sultanpur	271519	2169437	2169437
74	Unnao	385772	3082317	3082317
75	Varanasi	456661	3648720	3648720

नोट:-

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/ मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर बैंक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण एफ0एम0आर0 के अनुसार लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्क्रेन्ट अडिटर, स्टेटच्युरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **नोडल अधिकारी** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कराये।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0 एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

02- रिपोर्ट का प्रेषण-

- एओएमओ आयरन तथा फॉलिक एसिड वितरण/उपभोग की प्रगति आख्या, प्रत्येक माह ब्लॉक चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराये।
- ब्लॉक चिकित्साधिकारी अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की रिपोर्ट जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराये।
- जनपद स्तर पर सभी पीओचओसीओ/सीओचओसीओ की रिपोर्टों को संकलित कर रिपोर्ट राज्य स्तर पर महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई-मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई-मेल gmchildhealthnrhm@gmail.com पर संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

03- कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अपर निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने का कष्ट करें। परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा समय समय पर कार्यक्रम की समीक्षा की जायेगी।

अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आरओसीओचओ, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई-मेल jdrchup@gmail.com एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के ई-मेल gmchildhealthnrhm@gmail.com मोनो 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एसओपीओएमओयूओ/CH/NIP/39/2017-18/4663-75-10 दिनांक 11/08/2017

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उओप्रओ, शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. महाप्रबन्धक, प्रोक्थोरमेण्ट, नियमित टीकाकरण, कम्युनिटी प्रोसेस, एसओपीओएमओयूओ लखनऊ उओप्रओ।
6. संयुक्त निदेशक, आरओसीओचओ, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ, बी-3/258, विशालखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
9. टीम लीडर, उओप्रओ टैक्नीकल सपोर्ट यूनिट (UP-TSU) रतन स्क्वायर टावर, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
10. राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, माइक्रोन्यूट्रीएन्ट इनीशिएटिव (MI), गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश।

(डाओ अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य